M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2018

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 16
No. of Printed Pages : 16

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder and in light of provisions of the MP Accommodation Control Act, 1961 - - 10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS -

The Plaintiff Champalal has filed a suit against the Defendant Mohd. Hafiz in relation to the House No. 20, which is double-storeyed with tiled roofing and is situated at Itwara Bazar of Hoshangabad town. The ground floor of the said house was given to the Defendant on rent in 1972 for setting up a shop, in which the Defendant is carrying on the business of tailoring. The said house hereinafter shall be called as 'suit property'. It's rent is Rs. 50/- per month. The Plaintiff is the owner and defendant is the tenant of suit property. The defendant has not made the payment of rent since last eight months, despite repeated demands. Notice was also issued but he did not pay the rent. The suit property is about 60 years old whose walls are made of clay and lime and one storey of house was completely submerged in the flood of 1973 and the water logging had weakened the walls. The house is damaged and may collapse anytime. A person named Ashok having his house adjacent to this house, has reconstructed his house by demolishing his own house, due to which the suit property also suffered damages and now, for want of demolishing and reconstruction, the suit property is unfit for habitation. The suit property is required for the bona-fide need of Plaintiff's eldest son Vinod Kumar to start his business of Mechanic and Autoparts, as he is aged about 42 years and is unemployed. The necessary amount required for demolishing and reconstruction of the suit property is also available with the Plaintiff. He also has prepared the estimate and the plan-map of reconstruction. Therefore, the Plaintiff has filed present suit against the defendant in 1984 for his bona-fide commercial need, non-payment of rent, reconstruction of

the house being in dilapidated condition and for recovery of rent arrears.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

The defendant has filed the reply to the Plaint and denied the entire pleadings of the plaintiff and he has submitted that the Plaintiff Champalal had filed a suit for eviction in 1968 against Mohd. Vahid, father of the defendant. The Plaintiff got an ex-parte decree in his favour but he did not get it executed and after the death of Mohd. Vahid, he has let out the suit property on rent to the defendant which clearly shows that plaintiff was not in bona-fide need of the Plaintiff to start bussness/occupation for his son Kiran Kumar or Vinod Kumar. The defendant has denied that, the suit property and shop are in dilapidated conditions and it needs to be demolished and reconstructed, without which suit property is unfit for habitation. The defendant has stated that the shop is in good condition and suitable for habitation. The defendant has stated that the Plaintiff has another shop in town at Itwara Bazar, in which the Plaintiff is carrying his business of limestone and his son Vinod Kumar assists him in his business and there is another shop at Mangalwara which is vacant. The defendant has stated that, Vinod Kumar is a contractor since many years and assists his father in the business of limestone. He does not have any bona-fide need of the suit property for carrying on the business of Mechanic and Auto-parts. The defendant has stated that the Plaintiff had avoided receiving rent from the defendant. The defendant has paid a sum of Rs. 2100/- by way of cheque after receiving notice from Plaintiff's and the remaining rent arears also have been deposited by him in the Court, after his appearance in Court. So, no rent is due towards him and thereafter, he is regularly depositing rent in the Court. The defendant has further stated that, the Plaintiff wants to increase rent of the suit property upto Rs. 200/- per month and also wants Rs. 25, 000/- as "Pagri"/Advance Deposit. Plaintiff's suit is malafide, so suit is liable to be dismissed with costs.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के सुसंगत प्रावधानों के प्रकाश में विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन –

वादी चम्पालाल ने प्रतिवादी मोहम्मद हफीज के विरूद्ध होशंगाबाद नगर के इतवारा बाजार स्थित मकान नंबर 20 जो दो मंजिला है और खपरैल का बना हुआ है, के तल मंजिल को प्रतिवादी को दुकान लगाने के लिये किराये से सन् 1972 में दिया और जिसमें प्रतिवादी टेलरिंग का व्यवसाय कर रहा है, जिसे आगे वादग्रस्त मकान कहा गया है। इसका किराया 50 रूपए प्रतिमाह है। वादी इस वादग्रस्त मकान का स्वामी है तथा प्रतिवादी किरायेदार। प्रतिवादी ने पिछले 8 माह का किराया वादी को बार–बार मांगने पर भी नहीं दिया और नोटिस भेजने पर भी अदा नहीं किया। वादग्रस्त मकान लगभग 60 वर्ष पुराना है, जिसकी दीवालें मिट्टी और चूने से बनी हुई हैं तथा सन् 1973 की बाढ़ में इस मकान की एक मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई थी और पानी भरा रहने के कारण दीवालें कमजोर हो गई हैं । मकान क्षतिग्रस्त है और कभी भी गिरने का अंदेशा है। इस मकान के पड़ोस में अशोक नामक व्यक्ति ने अपना मकान खाली कराकर तोड़कर नया मकान बनाया, जिसके कारण से भी वादग्रस्त मकान क्षतिग्रस्त हुआ और अब इस वादग्रस्त मकान को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण किये बगैर उसमें रहना संभव नहीं है। वादी को अपने बड़े पुत्र विनोद कुमार के मैकेनिक एवं ऑटो पार्ट्स के व्यवसाय हेतु वादग्रस्त मकान की सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है, क्योंकि पुत्र विनोद कुमार 42 वर्ष का है और बेरोजगार है। वादी के पास वादग्रस्त मकान को तोड़कर उसके पुनर्निर्माण के लिये आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध है । उसने इसका एस्टीमेट और निर्माण हेतु मानचित्र भी तैयार कर लिया है, इसलिये वादी ने सद्भावनापूर्वक व्यावसायिक आवश्यकता, किराया देने में चूक करने, मकान जीर्णशीर्ण होकर उसका पुनर्निर्माण करने तथा अवशेष किराये की वसूली के लिये यह दावा प्रतिवादी के विरूद्ध सन् 1984 में पेश किया है।

प्रतिवादी के अभिवचन –

प्रतिवादी ने वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादी के सभी अभिवचनों से इंकार किया है एवं कहा है कि वादी चम्पालाल ने अपने पुत्र किरण कुमार एवं विनोद कुमार के व्यवसाय की सद्भावनापूर्वक आवश्यकता के लिये उसके पिता मोहम्मद वहीद के विरूद्ध अधि–निष्कासन का दावा सन् 1968 में पेश किया था और वादी के पक्ष में एकपक्षीय निर्णय होने के बाद भी वादी ने उसका निष्पादन नहीं करवाया और वह दुकान पिता मोहम्मद वहीद की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी को किराये से दे दी, जो कि स्पष्ट करता है कि वादी को अपने पुत्र किरण कुमार या विनोद कुमार के व्यवसाय के लिये कोई सद्भावनापूर्वक आवश्यकता नहीं थी । प्रतिवादी ने इस बात से इंकार किया है कि वादग्रस्त मकान और दुकान जीर्णशीर्ण हैं और उसे तोड़कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है,

जिसके बिना उसमें रहना संभव नहीं है। प्रतिवादी का कहना है कि दुकान अच्छी हालत में है, जिसमें आराम से रहा जा सकता है। प्रतिवादी का कहना है कि वादी के पास शहर में इतवारा बाजार में एक दुकान और भी है, जिसमें वादी स्वयं चूने का व्यवसाय करता है और उसका लड़का विनोद कुमार उस व्यवसाय में सहयोग करता है तथा एक अन्य दुकान मंगलवारा मोहल्ले में भी है जो कि रिक्त है। प्रतिवादी का कहना है कि विनोद कुमार वर्षों पूर्व से ठेकेदारी का कार्य करता है और पिता के चूने के व्यवसाय में सहयोग करता है, उसे वादग्रस्त दुकान की मैकेनिक और ऑटो पार्ट्स के कार्य के लिये कोई सद्भावनापूर्वक आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी का कहना है कि वादी स्वयं ने ही प्रतिवादी से किराया लेने में आना–कानी की। वादी के नोटिस के जवाब में प्रतिवादी ने उसे 2,100/–रूपए किराया चैक से दिया और शेष किराया न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय में जमा करा दिया, इसलिये कोई किराया शेष नहीं है एवं वह नियमित किराया न्यायालय में जमा कर रहा है। प्रतिवादी का आगे यह भी कहना है कि वादी वादग्रस्त मकान का बढ़ा हुआ किराया 200/–रूपए प्रतिमाह चाहता है और पगड़ी के रूप में 25,000/– रूपए चाहता है। वादी का दावा दुर्भावनापूर्वक है, इसलिये उसे सव्यय निरस्त किया जावे।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under - - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

On 01-01-2015 a young couple was going on a motorcycle, when they reached near Mauganj at 19:30 P.M., five persons Ramu, Munna, Pammi, Shyam and Titu stopped them and Ramu started outraging the modesty of young Lady. The husband resisted him. They divested all the valuables of young couple. On resistance, they tied the husband with tree and raped young lady. After committing the offence, they fled away.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/ आरोपों की विरचना कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

दिनांक 01.01.2015 को नव दंपत्ति मोटर सायकिल से जा रहे थे, जब वे 19:30 बजे मऊगंज के पास पहुंचे तभी उन्हें रामू, मुन्ना, पम्मी, श्याम तथा टीटू ने रोक लिया। रामू ने युवा महिला के साथ छेड़खानी प्रारंभ कर दी। पति ने उसका विरोध किया तो उन्होंने नव दंपत्ति से उनकी मूल्यवान वस्तुएं छीन ली। विरोध होने पर पति को पेड़ से बांधकर सभी ने युवा महिला के साथ बलात्संग किया तथा अपराध कारित कर वे भाग गये।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings :- Plaint filed by plaintiff Smt. Sudha Dubey is that she is the wife of Late Ram Krishna Dubey who is the son of Defendant No.1 Imrat @ Amrit Lal who died on 04.12.1999. Defendant No. 2 and 3 (Rajendra Kumar and Vinod Kumar) are the sons of Imrat @ Amrit Lal whereas brothers of Late Ram Krishna Dubey who was the husband of the Plaintiff. The plaintiff has stated that her father-in-law, Defendant No. 1 Imrat @ Amrit Lal is the owner of 6 acres of land comprising part of Khasra No. 49 situated at Village Ranipipariya which is an ancestoral property. Plaintiff's husband Late Shri Ram Krishna Dubey was in possession of 2 acres of land of the said property whereas after death of her husband, the Plaintiff used to reside in her in-laws house but in 2013, she was thrown out from her house by the defendants since then, she is residing in her parent's house. It has come to her knowledge that defendant No.1 Imrat @ Amrit Lal with the intention to disposed off the property, has got mutated 3 acre of land in favour of each defendant (No. 2 & 3) in revenue record and they are trying to sale out such property. Hence, the present suit has been filed by plaintiff to get the relief of declaration of title, Partition, recovery of possession and injunction.

Defendant's Pleadings :- The defendants have denied the averments of the Plaintiff and they have pleaded the disputed property is not an ancestoral property but such property is self acquired property of defendant Imrat @ Amrit Lal. After the death of his son Late Ram Krishna Dubey in the year 1999, the life insurance claim amount of Rs. 3,20,000/- (Rupees Three Lakh Twenty Thousand) was received by the Plaintiff and relinquished her right in disputed property. After 15 days from the death of her husband Late Shri Ram Krishna

Dubey, Plaintiff went to her parent's house and since then she is living there and did not claim any right or share in the property since 1999. The Plaintiff has filed the present suit in 2013 which is barred by limitation. The Plaintiff has no right or share in disputed property. The suit property has been partitioned and mutated in the name of defendant No. 2 and 3. Each one has got a share of 3 acre of land. No appeal has been preferred before Revenue Court against such mutation. Therefore, the civil suit is not maintainable.

Plaintiff's Evidence :- The Plaintiff has examined herself as sole witness as P.W. 1 and filed her statement by way of affidavit. She has filed Khasra Panchshala for the period 1972-73 to 1975-76 in which the disputed land is recorded in the name of Shiv Prasad, father of Imrat @ Amrit Lal (Defendant No.1). She has also filed the Khasra exhibit P.2 of the year 2007-08 in which the disputed land is in the name of Imrat @ Amrit Lal. She has also filed exhibit P.3, P.4 and P.5 Khasra Panchshala in which the land is recorded in the name of Imrat @ Amrit Lal and thereafter such land was transferred in the name of Rajendra Kumar and Vinod Kumar (Defendant No. 2 and 3) 3 acre each. She has filed the death certificate of her husband Late Shri Ram Krishna Dubey dated 04.12.1999. The Plaintiff Smt. Sudha Dubey has denied that after 15 days of death of her husband, she left her matrimonial home. The Plaintiff has stated that after the death of her husband, she had received an amount of Rs. 3,20,000/- but she has denied that such amount was received by her in lieu of her share in disputed property and she has also denied that she had relinquished her rights in respect of her share in the disputed property.

Defendant's Evidence :- Defendant Imrat @ Amrit Lal has filed an affidavit in support of his written statement. He has admitted during cross-examination that his father died in 1949 and thereafter, he got 6 acre land in mutuation proceedings. In cross examination, witness Imrat @ Amrit Lal has admitted that he has not filed any document to prove that her daughter–in–law got Rs. 3,20,000/- from insurance.

He has admitted that the deceased Ram Krishna Dubey would have got his share in disputed property, in case he was still alive. He has stated in his cross-examination that he has transferred the disputed land in the name his both the sons near about 12-13 years back. He has also admitted that he is ready to give share to her daughter-in-law if she is ready to stay with them. Similarly, defendants witness Mahesh (D.W. 2) has stated that defendant Imrat @ Amrit Lal has mutated half share of land to each of his two sons and daughter-in-law Sudha has no title and share. He has also stated that the insurance claim amount has to be received by Vinod Kumar but he had surrender such amount in favour of Sudha Dubey whereas no document in this regard was got executed by him.

Argument of Plaintiff :- The arguments on behalf of the Plaintiff is that the disputed property is the ancestral land which is proved by way of revenue record and cross examination of defendant Imrat @ Amrit Lal. In the above circumstances, her husband Ram Krishna Dubey had share in disputed property and after his death, She has acquired right/Share in disputed property. Plaintiff has also argued that even the plaintiff had received insurance amount but receiving of amount does not raise presumption that such amount was taken by her in lieu of relinquishment of her share in disputed property. Plaintiff has also argued that her suit is not barred by limitation because the cause of action arose in her favour in 2013. When she came to know about the mutation by her father in law Imrat @ Amril Lal in favour of his both the sons then only she filed the present suit and such suit is liable to be decreed.

Argument of Defendant :- The Defendants have argued that the disputed land is not an ancestral property but a self acquired property Imrat @ Amrit Lal and he has every right to devolve his property according to his wish. The Defendant has also argued that the plaintiff had left her matrimonial home to reside with their parants just after 15 days of death of Late Ram Krishna Dubey and she had received life insurance claim of Rs. 3,20,000/- on account of

the death of Late Ram Krishna Dubey and such amount was received by her against purchase of land by relinquished her title and share in disputed property. The defendant Imrat @ Amrit Lal has mutated half-half share of land in favour of his both the sons. It is also argued by defendants that the Plaintiff has filed the present suit after 14 years from the death of Ram Krishna Dubey to get relief of declararion, partition and possession which is barred by limitation. Hence, the suit of plaintiff is liable to be dismissed.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :– वादिनी श्रीमती सुधा दुबे की ओर से प्रस्तुत वाद के तथ्य सारांशतः इस प्रकार से हैं कि वह प्रतिवादी क्रमांक–1 इमरत उर्फ अमृतलाल के पुत्र रामकृष्ण दुबे की पत्नी है जिनका निधन दिनांक 04.12.1999 को हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक–2 एवं 3 (राजेंद्र कुमार एवं विनोद कुमार) इमरत उर्फ अमृतलाल के पुत्र हैं तथा वादिनी के स्वर्गीय पति रामकृष्ण दुबे के भाई हैं। वादिनी का कहना है कि ससुर प्रतिवादी क्रमांक–1 इमरत उर्फ अमृतलाल के पास ग्राम रानीपिपरिया में खसरा नंबर 49 की 6 एकड़ भूमि पैतृक सम्पत्ति है। जिसके 2 एकड़ पर उसके पति रामकृष्ण दुबे अपने जीवनकाल में काबिज थे और पति की मृत्यु के बाद वह अपने ससुराल में ही रही, लेकिन वर्ष 2013 में प्रतिवादीगण ने उसे घर से निकाल दिया तब से वह अपने मायके में है। उसे यह जानकारी हुई है कि प्रतिवादी क्रमांक–1 इमरत उर्फ अमृतलाल ने वादिनी के हक व हिस्से को खुर्दबुर्द करने के आशय से वादग्रस्त 6 एकड़ भूमि में से 3–3 एकड़ प्रतिवादी क्रमांक–2 एवं 3 के नाम पर नामांतरण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दी है और वे इस सम्पत्ति को भी विक्रय करने हेतु प्रयासरत् हैं, इसलिये वादग्रस्त सम्पत्ति में अपने हिस्से का स्वत्व घोषणा, बंटवारा, आधिपत्य प्राप्ति एवं निषेधाज्ञा के लिये यह दावा पेश किया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :– प्रतिवादीगण ने वादिनी के अभिवचनों से इंकार किया एवं कहा है कि वादग्रस्त सम्पत्ति खानदानी नहीं है, बल्कि प्रतिवादी इमरत उर्फ अमृतलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा पुत्र रामकृष्ण दुबे की वर्ष 1999 में मृत्यु हो जाने के बाद जीवन बीमा की 3,20,000/–रूपए की राशि प्राप्त हुई थी जिसे वादिनी ने यह कहते हुये प्राप्त किया कि वह वादग्रस्त सम्पत्ति में अपने हिस्से का त्याग कर रही है । रामकृष्ण की मृत्यु के 15 दिन बाद से ही वह मायके चली गई तब से वही रह रही है और उसने संपत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं मांगा। वादी ने वर्ष 2013 में उसने यह

दावा पेश किया है, जो मियाद बाहर है। वादिनी का कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त सम्पत्ति में नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति में से 3–3 एकड़ का बंटवारा प्रतिवादी क्रमांक–2 एवं 3 के नाम पर हो चुका है और इसकी राजस्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिये व्यवहार न्यायालय में दावा चलने योग्य नहीं है।

वादी की साक्ष्य :– वादिनी की ओर से केवल स्वयं का ही मुख्य परीक्षण का शपथपत्र वा.सा.1 के रूप में पेश किया तथा दस्तावेज के रूप में वर्ष 1972–73 से 1975–76 का खसरा पंचसाला पेश किया जिसमें वादग्रस्त भूमि इमरत उर्फ अमृतलाल (प्रतिवादी क्रमांक–1) के पिता शिवप्रसाद के नाम पर दर्ज होना बताई गई है उसने वर्ष 2007–08 का खसरा प्रदर्श पी–2 पेश किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि इमरत उर्फ अमृतलाल के नाम पर बताई गई है । वादी ने प्रदर्श पी–3, पी–4 एवं पी–5 का खसरा पंचशाला पेश किया है जिसमें पहले भूमि इमरत उर्फ अमृतलाल के नाम पर और फिर बाद में 3–3 एकड़ भूमि राजेंद्र कुमार एवं विनोद कुमार (प्रतिवादी क्रमांक–2 एवं 3) के नाम पर अंतरित की गई है उसने पति रामकृष्ण दुबे की मृत्यु का प्रमाणपत्र पेश किया है, जिसमें उसकी मृत्यु दिनांक 04.12.1999 को होना बताई गई है। वादिनी श्रीमती सुधा दुबे इस बात से इंकार करती है कि वह पति की मृत्यु के 15 दिन बाद वह ससुराल में नहीं रही। वादिनी यह कहती है कि पति की मृत्यु के बाद उसे 3,20,000/–रूपए की बीमा राशि मिली थी, लेकिन इस बात से इंकार करती है कि वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा त्याग देने के परिप्रेक्ष्य में उक्त राशि मिली थी ।

प्रतिवादी की साक्ष्य :– प्रतिवादी इमरत उर्फ अमृतलाल ने अपने जवाबदावे के समर्थन में शपथपत्र पेश किया है । उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता की सन् 1949 में मृत्यु हुई थी और उसके बाद नामांतरण कार्यवाही में उसे 6 एकड़ जमीन मिली थी। प्रतिपरीक्षण में इमरत उर्फ अमृतलाल स्वीकार करता है कि बहू को जो बीमा की राशि 3,20,000/–रूपए मिली थी उसके कागज उसने पेश नहीं किये हैं। वह स्वीकार करता है कि यदि रामकृष्ण जिंदा होता तो उसका जमीन में हिस्सा होता। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहता है कि उसने 12–13 साल पहले अपने दोनों लड़कों के नाम पर जमीन अंतरित कर दी थी और यह भी स्वीकार करता है कि बहू उनके साथ निवास करना स्वीकार करे तो उसे हिस्सा देने तैयार हैं ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी साक्षी महेश (वा.सा. 2) भी कहता है कि प्रतिवादी इमरत उर्फ अमृतलाल ने अपने दोनों पुत्रों के नाम आधी–आधी जमीन कर दी थी, बहू सुधा के नाम पर अब कोई हक व हिस्सा नहीं है। यह भी कहता है कि बीमा की राशि विनोद को मिली थी, लेकिन उसने वादिनी सुधा दुबे को दिलाई थी, लेकिन सुधा दुबे से लिखवाया कुछ भी नहीं था।

तर्क वादी :– वादिनी की ओर से तर्क है कि वादग्रस्त भूमि उसकी खानदानी पैतृक भूमि है, जो कि प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से एवं प्रतिवादी इमरत उर्फ अमृतलाल के प्रतिपरीक्षण की स्वीकारोक्ति से प्रमाणित होता है और ऐसी स्थिति में वादिनी के मृत पति

रामकृष्ण दुबे का हिस्सा था और रामकृष्ण की मृत्यु के उपरांत उसका । वादिनी का कहना है कि बीमा की राशि भले ही उसे मिली हो, इतने मात्र से यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि उसने यह राशि लेकर वादग्रस्त भूमि में अपने हक व हिस्से का त्याग कर दिया हो । वादिनी का यह भी तर्क है कि उसका दावा मियाद बाहर नहीं है, क्योंकि जब उसे वर्ष 2013 में यह पता चला कि ससुर इमरत उर्फ अमृतलाल ने वादग्रस्त भूमि आधी–आधी दोनों पुत्रों के नाम कर दी है तब वाद कारण उत्पन्न हुआ और तब उसने वर्तमान् दावा प्रस्तुत किया है जो डिक्री होने योग्य है ।

तर्क प्रतिवादी :– प्रतिवादीगण की ओर से तर्क है कि वादग्रस्त भूमि खानदानी नहीं है, बल्कि प्रतिवादी इमरत उर्फ अमृतलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति है और वह स्वेच्छानुसार अपनी सम्पत्ति व्ययन करने का अधिकार है। प्रतिवादी का यह भी तर्क है कि रामकृष्ण की मृत्यु के उपरांत वादिनी 15 दिन के भीतर ही ससुराल त्यागकर अपने मायके चली गई थी और रामकृष्ण की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त जीवन बीमा की राशि 3,20,000/–रूपए प्राप्त कर ली जो कि जमीन खरीदने के लिये प्राप्त की थी और वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा छोड़ दिया था। प्रतिवादी इमरत उर्फ अमृतलाल ने अपने दोनों पुत्रों के नाम पर जमीन आधी–आधी कर दी है । प्रतिवादीगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि रामकृष्ण की मृत्यु के उपरांत 14 वर्ष बाद स्वत्व घोषणा, बंटवारा, आधिपत्य प्राप्ति का दावा पेश नहीं किया है इसलिये दावा मियाद बाहर है और निरस्त होने योग्य है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the relavant laws. - 40 Marks

Prosecution Case :- Daughter 'A' of 'B' and 'C' were married to 'D' on 03-04-2001. 'E' and 'F' is respectively the elder brother and elder brother's wife of 'D'. 'D' having no independent business was solely dependent on 'E' and 'F'. 'A' being member of poor family could not bring sufficient dowry with her, therefore, she was subjected to cruelty for demand of dowry by 'E' and 'F' from the day she entered to live in her matrimonial house. Very often she was beaten by 'E' and 'F' and was asked to bring case Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen Thousand Only) from her parents. On 06-12-2001 'D' went out side the village in connection with business of his elder brother 'E'. 'E' and 'F' along with 'A' remained in the house. In the evening 'E'

and 'F' started teasing 'A' and when 'A' objected she was beaten by 'E' and 'F' and when 'A' forcibly resisted the acts of 'E' and 'F', 'F' instigated her husband 'E' to commit sexual assault on 'A'. 'F' caught both the hands of 'A' and by force fell her down and 'E' mercilessly committed rape on 'A'. 'A' cried loudly. Hearing her cry, person from vicinity came to rescue her. 'G' and 'H', two ladies who were neighbours came inside the house and saw 'A' laying on the ground in injured condition. 'E' and 'F' were present nearby her. When both the ladies 'G' and 'H' asked 'A' as to what happened, she disclosed that she was beaten by 'E' and 'F' and when she objected and resisted, 'F' caught hold of her hand, fell her down, and on her instigation 'E' committed rape on her. Both the ladies advised 'A' to complaint the matter to her husband and left the place. On the next morning 'D' returned and entered inside his room and saw 'A' hanging with the rope. He shouted loudly and called the persons from the vicinity. Body of 'A' was brought down and they found that 'A' is dead. 'D' went to police station and reported the matter. Marg intimation was recorded and inquest was conducted. On inquiry of Marg it was found that 'A' was subjected to cruelty for demand of dowry and on 06-12-2001 she was sexually assaulted and as a result of humiliation 'A' committed suicide. Therefore, FIR for offences under Section 304B, 376(2) and 498 (A) of the Indian Penal Code was recorded and investigation took place. Medical officer 'I' and 'J' who conducted postmortem and noted injuries found on her body examined dead body of 'A'. They also noted injury on vagina. They collected vaginal smears and prepared slides and also collected under garments of 'A' which were sent by the police for chemical and serological examination. Both of them opined that 'A' died due to asphyxia as a result of hanging. She was assaulted and even, signs of sexual assault were present. During investigation, under garments of 'E' were collected and seized and 'E' was medically examined by medical officer 'K'. On medical examination minor injuries over knee and over some other parts of his body were found and it was found that he was capable to commit sexual intercourse. Statements

of witnesses were recorded under Section 161 of the Criminal Procedure Code, under garments of 'E' and 'A' and slides prepared from vaginal smear were got examined by the chemical examiner and semen as well as spermatozoa were found on all there articles. After completion of investigation charge-sheet for offences punishable under Section 498-A, 376(2) and 304-B of IPC against accused 'E' and 'F' was filed in the court of Judicial Magistrate First Class who committed the case to the court of sessions for trial.

Defence Plea :- On being charged, all the accused abjured their guilt and pleaded innocence.

Evidence of prosecution :- 'B' and 'C' mother and father thought under Section 161 of the Cr.P.C. gave statements regarding cruelty committed on their daughter 'A' for demand of dowry but they did not support that version in court, instead they deposed that she was often treated with cruelty by husband's elder brother, husband's elder brother's wife respectively 'E' and 'F' and very often she was assaulted by them. They also deposed the date of marriage *i.e.* 03-04-2001 and her death in matrimonial home on 06-12-2001. Witnesses 'G' and 'H', women neighbors supported the story that very often both accused persons were assaulting 'A' and on the date of incident 'D' was not in the house were 'E' and 'F' were present inside the house and when hearing the noise of 'A' hey came to rescue her and found a lying on ground in injured condition, 'E' and 'F' were present. In presence of 'E' and 'F', 'A' in detail disclosed that both 'E' and 'F' has brutally assaulted her and when she struggled to escape and made hue and cry, 'F' caught her and instigated 'E' to commit rape, thereupon 'E' forcibly committed rape on her. 'E' and 'F' did not contradicted the facts disclosed by 'A'. Doctors 'I' and 'J' were examined who supported that 'A' died as a result of asphyxia due to hanging. They also stated that injuries are found on the body of 'A' and on vagina, they also proved taking of vaginal smear and preparing slides, collecting under garments of 'A' and sending all those to police station to be sent for chemical examination. Investigating Officer 'L' proved marg

intimation, facts regarding inquest, FIR, seizure of under garments of 'E' and other investigating part of the case as also proved sending of material to chemical examiner for chemical examination and producing chemical examination report before the court. Medical officer 'K' was examined to support potency of 'E' and injuries found on his body. Chemical examination report disclosed that semen and spermatozoa were present in the under garments of 'A' and 'E' and slides prepared from vaginal smear.

Evidence of Defence :- Denial and false implication. They did not examine any witness.

Arguments of Prosecuter :- Prosecution describing the evidence collected and present against both the accused persons argued that the charges have been proved. On the other hand defence argued that the witnesses who are neighbors are on inimical terms and, therefore, they have falsely implicated them.

Arguments of Defence Counsel :- Prosecution does not proved the case. Therefore the prosecution case is doubtful.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन प्रकरण :– 'बी' व 'सी' की पुत्री 'ए' का विवाह दिनांक 03.04.2001 में 'डी' के साथ हुआ था। 'ई' व 'एफ' 'डी' के बड़े भाई तथा बड़े भाई की पत्नी है। 'डी' का कोई स्वतंत्र कारोबार न होने के कारण, वह 'ई' तथा 'एफ' पर ही निर्भर था। 'ए' निर्धन कुटुम्ब की सदस्य होने के करण अपने साथ पर्याप्त दहेज नहीं ला सकी थी इसलिए जब से वह अपने ससुराल में रहने के लिए आयी तभी से 'ई' तथा 'एफ' ने दहेज की मांग के कारण उसके साथ क्रूरता करनी प्रारम्भ कर दी। प्रायः 'ई' तथा 'एफ' उसे मारते–पीटते भी थे तथा उससे अपने माता–पिता से नकद रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) लाने के लिए कहा था। दिनांक 06.12.2001 को 'डी' अपने बड़े भाई 'ई' के कारोबार के सम्बन्ध में गांव से बाहर गया था। 'ई' 'एफ' तथा 'ए' घर में ही रह गये थे। सायंकाल 'ई' तथा 'एफ' ने 'ए' को परेशान करना प्रारम्भ कर दिया था और जब 'ए' ने विरोध किया तब 'ई' तथा 'एफ' ने उसे मारा और जब 'ए' ने बलपूर्वक 'ई' तथा 'एफ' के कृत्यों को प्रतिरोध किया तब 'एफ' ने अपने पति 'ई' को 'ए' के साथ लैंगिक सम्भोग करने के लिए उकसाया। 'एफ' ने 'ए' के दोनों हाथ पकड़ लिए तथा बलपूर्वक उसे गिरा दिया तथा 'ई' ने निर्दयतापूर्वक 'ए' के साथ बलात्कार किया। 'ए' ने शोर मचाया। उसके शोर को सुनकर

आस–पड़ोस के व्यक्ति उसे बचाने के लिए आ गये। 'जी' तथा 'एच' दो–महिलाएं, जो पड़ोसी थी, घर के अन्दर आयी तथा 'ए' को घायलावस्था में जमीन पर पड़ा हुआ पाया था। 'ई' तथा 'एफ' वहीं उपस्थित थे। जब दोनों महिलाओं 'जी' तथा 'एच' ने उससे पूछा कि क्या घटना हुई है तब उसने बताया कि उसे 'ई' तथा 'एफ' ने मारा–पीटा तथा जब उसने इसका विरोध तथा प्रतिरोध किया तब 'एफ' ने उसके हाथ पकड़ लिए तथा उसे गिरा दिया और उकसाने पर 'ई' ने उससे बलात्कार किया। दोनों महिलाओं ने उससे अपने पति को मामला बता देने तथा स्थान को छोड़ देने की सलाह दी। अगले दिन प्रातः काल 'जी' वापस आया और अपने कमरे के भीतर गया तथा 'ए' को रस्सी से लटकता हुआ देखा। वह जोर से चिल्ला पड़ा तथा आसपास के लोगों को बुला लिया। 'ए' के शरीर को नीचे उतारा गया एवं उन्होंने पाया कि 'ए' मर चुकी है। 'डी' पुलिस थाने गया और मामले की रिपोर्ट की। मर्ग सूचना लेखबद्ध की गई तथा पंचनामा किया गया। मर्ग के पूछताछ में यह पाया गया था कि दहेज की मांग के लिए 'ए' को प्रताड़ित किया गया तथा दिनांक 09.12.2001 को उस पर लैंगिक आक्रमण किया गया था तथा तिरस्कार के परिणामस्वरूप 'ए' ने आत्महत्या कर ली थी। अतएव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख, 376 (2) तथा 498 (क) के अधीन अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी तथा अन्वेषण हुआ। चिकित्साधिकारी 'आई' तथा 'जे' ने मरणोतर परीक्षण किया गया था तथा उसके शरीर पर पाये घाव अंकित किए थे तथा 'ए' के शरीर का परीक्षण किया था। उन्होंने उसकी योनि पर चोट को भी अंकित किया था। उन्होंने योनि पर धब्बों को एकत्र किए थे तथा स्लाइड्स तैयार किए थे तथा 'ए' के अधोवस्त्र को भी बरामद किया था जिसे रसायनिक तथा सीरोलाजिकल परीक्षण के लिए पुलिस द्वारा भेज दिया गया था। दोनों ने यह मत व्यक्त किया था कि 'ए' की मृत्यु लटकने के कारण एसफाइक्सिया के कारण हुई थी। उस पर आक्रमण किया गया था तथा लैंगिक हमले के निशान भी पाये गये थे। अन्वेषण के दौरान 'ई' के अधोवस्त्र को भी बरामद और अभिग्रहीत किया गया था और 'ई' का चिकित्साधिकारी के द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था। चिकित्सकीय परीक्षण पर घुटने पर तथा उसके शरीर के कुछ अन्य भागों पर छोटी–छोटी चोटें पायी गई थीं और यह पाया गया था कि वह लैंगिक सम्भोग करने में समर्थ था। साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161, दण्ड प्रकिया संहिता दर्ज किए गये थे, 'ई' तथा 'ए' के अधोवस्त्र तथा योनि पर पाये गये धब्बे से तैयार स्लाइड्स का रसायनिक परीक्षण द्वारा परीक्षण किया गया था और इन सभी वस्तुओं पर शुक्राणु तथा स्परमेटोजोवा पाये गये थे। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात अभियुक्तगण 'ई' तथा 'एफ' के विरूद्ध धारा तथा 498–क, 376 (2) व 304–ख के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए आरोप–पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष दाखिल किए गये थे जिन्होंने मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया था।

प्रतिरक्षा अभिवाक् :– आरोपित किए जाने पर सभी अभियुक्तों ने अपने दोष से इन्कार किया था तथा निर्दोष का अभिवाक् किया था।

अभियोजन की साक्ष्य :– 'बी' तथा 'सी' माता–पिता ने यद्यपि कि द.प्र.सं. की धारा 161 के अधीन दहेज की मांग के लिए अपनी पुत्री 'ए' के साथ क्रूरता किए जाने का बयान दिया था किन्तु उन्होंने न्यायालय में उस कथन का समर्थन नहीं किया था इसके बजाय उन्होंने यह परिसाक्ष्य दिया था कि पति के बड़े भाई, पति के बड़े भाई की पत्नी क्रमशः 'ई' तथा 'एफ' प्रायः उसके साथ क्रूरता करते थे और उक्सर उसे मारते–पीटते भी थे। उन्होंने विवाह की तिथि यानि 03.04.2001 तथा ससुराल में उसकी मृत्यु दिनांक 06.12.2001 का भी परिसाक्ष्य दिया था। साक्षीगण 'जी' व 'एच' पड़ोसी स्त्रियों ने इस कथन का समर्थन किया था कि प्रायः दोनों अभियुक्त व्यक्ति 'ए' को मारते–पीटते थे और घटना वाले दिन 'डी' घर में नहीं था जबकि 'ई' तथा 'एफ' घर के भीतर उपस्थित थे और जब 'ए' की शोर सुनकर वे उसे बचाने के लिए आये तथा 'ए' को घायलावस्था में जमीन पर पड़ा पाया था, तब 'ई' तथा 'एफ' उपस्थित थे। 'ई' तथा 'एफ' की उपस्थिति में 'ए' ने विस्तार से बताया था कि 'ई' तथा 'एफ' दोनों ने उस पर निर्दयतापूर्वक मारा–पीटा था और जब उसने बचने के लिए संघर्ष किया तथा शोर मचाया, तब 'एफ' ने उसे पकड़ लिया था 'ई' को उससे बलात्कार करने के लिए उकसाया उस पर 'ई' ने उससे बलपूर्वक बलात्कार किए। 'ई' तथा 'एफ' ने 'ए' द्वारा वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया था। चिकित्सक 'आई' तथा 'जे' ने परीक्षण किया था। जिन्होंने यह समर्थन किया था कि 'ए' लटकने के कारण एसफाइक्सिया से मरी थी। उन्होंने यह भी बयान दिये थे कि 'ए' के शरीर तथा योनि पर घाव पाये थे। उन्होंने योनि पर धब्बे लेने तथा स्लाइड तैयार करने, 'ए' के अधोवस्त्र को बरामद करने तथा उन सभी चीजों को रासायनिक परीक्षण के लिए पुलिस थाना भेजने के तथ्य को साबित किया था। अन्वेषण अधिकारी 'एल' ने मर्ग सूचना पंचनामा के तथ्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट, 'ई' के अधोवस्त्र को बरामद करने तथा मामले के अन्य अन्वेषण हिस्सों को साबित किया था तथा सामग्रियों को रासायनिक परीक्षण के लिए रसायनिक परीक्षक के पास भेजने तथा न्यायालय के समक्ष रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट पेश करने के तथ्य को भी साबित किया था। चिकित्साधिकारी 'के' का परीक्षण 'ई' की पुंसकता का तथा उसके शरीर पर पाये गये चोटों का समर्थन करने के लिए परीक्षण किया गया था। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट यह प्रकट करती थी कि 'ए' तथा 'ई' के अधोवस्त्र में शुक्राणु तथा स्परमेटोजोवा विद्यमान थे तथा योनि धब्बे से स्लाइड तैयार किए गये थे।

बचाव साक्ष्य :– इन्कार तथा झूठा फंसा दिया जाना। उन्होंने किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की।

अभियोजन का तर्क :– अभियोजन पक्ष ने एकत्र साक्ष्य का वर्णन करते हुए, अभियुक्त व्यक्तियों दोनों के विरूद्ध एकत्र तथा विद्यमान साक्ष्य का वर्णन करते हुए यह बहस की है कि आरोप साबित है। दूसरी और बचावपक्ष ने यह बहस की है कि साक्षीगण, जो पड़ोसी है, दुश्मनी रखते हैं तथा इसलिए उन्होंने उन्हें झूठा अपराध में आलिप्त कर दिया है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :– बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन अपना पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः सम्पूर्ण अभियोजन मामला संदेहास्पद है।

****